न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या	:–	50 / 2019
दायर दिनांक	:–	01 / 08 / 2019
निर्णय दिनांक	:–	07 / 02 / 2020

अनवान

श्री भेरूलाल पिता नाथुलाल जाति बोहरा आयु 65 वर्ष निवासी तासोल, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुंवारिया जिला राजसमन्द

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार कुंवारिया प्रकरण संख्या 06 / 2019 ना. क. निर्णय दिनांक 18.07.2019

उपस्थित :–

1–श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट

2–श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपीलांट के विरूद्व राजस्व ग्राम तासोल पटवार हल्का तासोल तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 125 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 15 विश्वांसी किस्म बिलानाम पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित को भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रमण मानते हुये लगान 1 रूपये का 50 गुणा शास्ति 50/–रूपये आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 18.07.2019 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम तासोल पटवार हल्का तासोल तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित खसरा संख्या 125 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 15 विश्वांसी भूमि पर प्रार्थी का बहुत पुराना कब्जा है। अपीलार्थी जिस

अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला राजसमन्द

भूमि पर काबिज होकर मकान बना हुआ हैं। वह 50 वर्षो से भी अधिक समय से बना हुआ हैं। अपीलार्थी आबादी भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं। अपीलार्थी ने आराजी नम्बर 125 पर कोई अतिक्रमण एवं कब्जा नहीं किया हैं बल्कि आबादी भूमि पर ही अपीलार्थी काबिज हैं। अपीलार्थी का मकान आबादी भूमि में होने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार को धारा–91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अपीलार्थी को उक्त मामले में अपना पक्ष रखने, जवाब एवं सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया हैं। एवं तहसीलदार द्वारा की गयी कार्यवाही उनके अधिकार क्षेत्र से परे हैं। विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि आबादी भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई का अधिकार ही प्राप्त नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही न केवल विधि विरूद्ध हैं बल्कि उनके क्षेत्राधिकार से परे हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण मानते हुए त्रुटि कारित की हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट बेदखली का आधार नहीं हो सकता हैं। वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि है जिस पर मकान वर्षों से बना हुआ हैं। उक्त मकान आराजी नम्बर 125 का भाग ही नहीं है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बिना मौका जांच रिपोर्ट के अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने में त्रुटि कारित की हैं। अपीलार्थी के मकान के अतिरिक्त इसी क्षेत्र में अन्य कई मकान बने हुए हैं। पूरा मोहल्ला बसा हुआ हैं। अपीलार्थी वैध स्वामित्व के दस्तावेज के आधार पर अपने मकान पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के वैध स्वामित्व के दस्तावेज को सक्षम प्राधिकरण के यहां चुनौती देकर निरस्त कराये बगैर अपीलार्थी को किसी भी रूप में अतिक्रमी नहीं माना जा सकता हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के मामले में सारे नियमों को नजरअंदाज करते हुए प्रथम सुनवाई पर ही बेदखली का आदेश पारित किया है जो विधि के विपरीत होकर क्षेत्राधिकार से परे हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर भी मनन विचार नहीं किया गया हैं कि अपीलार्थी का पुराना मकान बना हुआ हैं। वैसे तो अपीलार्थी के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा मकान के स्वामित्व के दस्तावेज प्रदान किये गयें हैं और यदि किसी व्यक्ति के पास स्वामित्व के दस्तावेज प्रदान नहीं किये जाते हैं तो भी राज्य सरकार द्वारा बने हुए मकानों को नियमन करने हेतु निर्देश प्रदान किये गयें हैं। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र जारी कर बने हुए मकानों को नियमित करने के निर्देश भी दिये हैं लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर मनन विचार नहीं किया। सरकार द्वारा बने हुए मकानों को नियमित करने के लिये दिनांक 11.01.2008 को परिपत्र जारी किया गया था उसके उपरान्त दिनांक 10.01.2019 को नियमन करने के लिये परिपत्र जारी किया गया तथा राजस्व अभियान ''न्याय आपके द्वार '' में दिसम्बर 2017 तक के निर्माण को नियमन करने के निर्देश जारी किये गये हैं। अभी हाल में दिनांक 10.07.2019 को भी राज्य सरकार द्वारा बसी हुई आबादी के मकानों को 300 वर्गगज तक नियमन करने के निर्देश जारी कर रखे हैं लेकिन इस बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई मनन विचार नहीं किया हैं। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम तासोल पटवार हल्का तासोल तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 125 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 15 विश्वांसी किस्म बिलानाम पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया । अपीलाण्ट द्वारा बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है । और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश. बहाल रखा जावें । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम तासोल पटवार हल्का तासोल तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 125 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 15 विश्वांसी किस्म बिलानाम पर अतिक्रमण किया गया हैं। एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण से बेदखल करने व शास्ति 50/–रूपये आरोपित करने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता का तर्क हैं कि उक्त आराजी के पास आबादी भूमि हैं। जिस पर अपीलार्थी का मकान/दुकाने बनी होकर उक्त भूमि पर अपीलार्थी का 50 वर्षों से कब्जा अधिपत्य हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का आबादी पैतृक मकान होने से पट्टे भी जारी कर रखें हैं। अपीलार्थी उक्त पट्टे शुदा आबादी भूमि पर काबिज हैं। हल्का पटवारी द्वारा बिना सिमाकंन किये उक्त कार्यवाही की रिपोर्ट की गई हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के हित को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार कुंवारिया को निर्देशित किया जाता हैं कि बेदखली की कार्यवाही करने से पूर्व अपीलार्थी को सुमुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करें तथा अपीलार्थी के पट्टे शुदा मकान का सीमांकन करें। यदि अपीलार्थी का उक्त वादग्रस्त भूमि में अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही करें। इस निर्देश के साथ अपील निर्णित की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला-राजसमन्द

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द